न्यायालय उप जिलाधिकारी, कर्वी(चित्रकूट)

वाद संख्या– 11

धारा–143बी0ज0वि0अधि0
मौजा–सपहा, तहसील
व परगना–कर्वी,
जिला चित्रकूट।

सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय सपहा बनाम सरकार उ0प्र0आदि।

निर्णयादेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी डॉ0 अशोक कुमार सिंह प्रबन्धक, सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय सपहा द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र के अन्त में दर्शित अनुसूची अ में दर्ज खातों की भूमि का प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। कय शुदा आराजियात पर सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय बनवाना चाहता है और वित्तीय संस्थान/बैंक से अनुबन्धित लोन स्वीकृत कराकर अपना संस्थान स्थापित कर व्यवसाय करना चाहता है। यह भी कहा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को मात्र कानूनन मुकदमा फरीक बनाया गया है तथा प्रतिवादी नं03 लगायत 7 सह काश्तकार एवं अपने–2 मौके पर काबिज दखील है जिनसे प्रार्थी की कय शुदा भूमि पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है लेकिन कानूनन मुकदमा फरीक बनाये जाते है। यह भी कहा कि वादी अपना महाविद्यालय स्थापित करने के बाद अन्य किसी व्यक्ति को भूमि हस्तान्तरित नहीं करेगा। अतः याचना किया कि वाद पत्र में दर्शित अनुसूची अ में दर्ज नम्बरान को आबादी भूमि घोषित किया जाय।

आवेदक के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कर्वी से जॉचाख्या मगायी गयी। तहसीलदार कर्वी की जॉचाख्या दिनॉक–8.9.11 निर्धारित प्रारूप 135 प्राप्त होकर सलग्न पत्रावली है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार कर्वी से मौके का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। दिनॉक–27.3.12 को नायब तहसीलदार कर्वी द्वारा आख्या प्रेषित कर कहा गया कि सम्बन्धित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया मौके पर बोरिंग की गयी है तथा एक कमरे का निर्माण किया गया है। शेष भूमि निर्माण हेतु परती पड़ी हुई है। सम्बन्धित भूमि पर वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। निर्धारित प्रारूप में दी गयी आख्यानुसार वि0भू0 स्थित ग्राम सपहा,तह0कर्वी0, जनपद–चित्रकूट सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय सपहा संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मानव सेवा संस्थान शंकर बाजार कर्वी प्रबन्धक डॉ0 अशोक कुमार सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी शंकर बाजार कर्वी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। प्रार्थी उक्त आराजी को विद्यालय भवन बनवाने हेतु आबादी श्रेणी–6 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः तहसीलदार कर्वी की आख्या दिनॉक–8.9.11 एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट द्वारा नायब तहसीलदार कर्वी दिनॉक–27.3.12 के आधार पर वि0भू0 नं039/0.134, 22/0.668है0, 40/0.150, 41/0.206, 14/क रकबा 0.032, 16/0.08है0 कुल 6किता कुल योग 1.198है0 लगान 8.10रू0 स्थित ग्राम सपहा, तहसील कर्वी जिला चित्रकूट को लगान मुक्त करते हुए गैर कृषि प्रयोजन के रूप में उदघोषित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तदनुसार तहसीलदार कर्वी को अनुपालन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनॉक–30.3.2012

(राकेश चन्द्र) 30/3/12
उप जिलाधिकारी
कर्वी।

240
दिनांक .. 04-4-12
7-4-12
7-4-12

प्रमाणित प्रतिलिपि
7/4/12